रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2333] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936
No. 2333] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

**का.आ. 2908(अ).**—जहां अंतर्राज्यीय नदी महादायी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन तारीख 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2786 (अ) द्वारा 16 नवम्बर, 2010 को महादायी जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन किया गया था;

और जहां उपर्युक्त अधिकरण को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप- धारा (2) के अधीन तीन वर्ष की अवधि में, 15 नवम्बर, 2013 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करना था;

अैर जहां उपर्युक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि 16 नवम्बर, 2013 से एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 8 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3404 (अ) द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि 15 नवम्बर, 2014 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी थी;

और जहां उपर्युक्त अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रयोजन के लिए उनके कार्य शुरू करने की प्रभावी तारीख अर्थात् 21 अगस्त, 2013 को इसके गठन की तारीख माना जाए।

और जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक राज्य और भारत संघ के बीच 2008 की रिट याचिका (सी) सं. 408 में पारित तारीख 17 दिसम्बर, 2008 के अपने आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 2 अप्रैल, 2004, जब उस अधिकरण का गठन किया गया था, के स्थान पर 1 फरवरी, 2006 मानने का निदेश दिया था;

और जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा राज्य और भारत सरकार के बीच 2006 की रिट याचिका (सी) सं. 443 में 2013 के अन्तर्वर्ती आवेदन संख्यांक 8 में पारित तारीख 13 दिसम्बर, 2013 के अपने आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन दी गई तीन वर्ष की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए वंसधारा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 24 फरवरी, 2010, जब उपर्युक्त अधिकरण का गठन किया गया था, के स्थान पर 17 सितम्बर, 2012 मानने के निदेश दिए थे;

इसलिए केन्द्रीय सरकार ने ऊपर उल्लिखित समान प्रकार के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय किया है कि उपर्युक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 21 अगस्त, 2013 होगी और तदनुसार उपर्युक्त अधिकरण उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन अपनी रिपोर्ट तीन वर्ष की अवधि में अर्थात् 20 अगस्त, 2016 को या उससे पहले केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

[फा. सं. 19/4/2010-बीएम]

टी. वी. एस. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2014.

**S.O. 2908(E).—**Whereas, the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 16th November, 2010 *vide* notification number S.O.2786 (E), dated the 16th November, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Mahadayi and river valley thereof;

And Whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act within a period of three years, on or before the 15th November, 2013 ;

And Whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 16th November, 2013 ;

And Whereas, the Central Government *vide* notification number S.O. 3404 (E), dated the 8th November, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year upto 15th November, 2014 ;

And Whereas, the said Tribunal has requested the Central Government to reckon the effective date of its functioning, i.e. 21st August, 2013 to be the date its constitution for the propose of sub section (2) of Section 5 of the said Act;

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court *vide* its order dated 17th December, 2008 passed in Writ Petition (C) No. 408 of 2008 between the State of Karnataka Vs Union of India directed the Central Government to treat effective date of the constitution of the Krishna Water Dispute Tribunal under section 3 of the said Act as 1st February, 2006 instead of 2nd April, 2004 when the said Tribunal was constituted;

And Whereas, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 13th December, 2013 passed in Interlocutory Application No.8 of 2013 in Writ Petition (C) No. 443 of 2006 between State of Orissa Vs Government of India directed the Central Government to consider the 17th September, 2012 as the effective date of the constitution of Vansadhara Water Dispute Tribunal for the purpose of calculating the period of three years provided under sub-section (2) of Section 5 of the said Act instead of 24th February, 2010 when the said Tribunal was constituted;

Now, therefore, the Central Government, having regard to the decision taken by the Hon'ble Supreme Court in similar matters as stated above, has decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be 21st August, 2013, and accordingly, the said Tribunal shall forward its report to the Central Government under the provisions of sub-section (2) of Section 5 of the said Act, within a period of three years therefrom, i.e. on or before the 20th August, 2016.

[F. N. 19/4 /2010-BM]

T. V. S. N. PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.